

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/29/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/174

अपीलार्थी

श्री बाबूलाल सैनी,
नि0 87ए, स्कीम नं.1,आर्य नगर, अलवर

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.04.2022


प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 10.05.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक: 24.02.2022 के माध्यम से स्वयं (पेंशनर) के 80 वर्ष की आयु दिनांक: 03.07.2021 को पूर्ण करने उपरान्त 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक: 20.02.2022 के परिप्रेक्ष्य में की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा0पत्र दिनांक: 25.03.2022 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्रांक: 1109 दिनांक: 05.05.2022 मय संलग्नक, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा कोषाधिकारी, अलवर के पत्रांक: 455 दिनांक: 29.04.22 से प्राप्त 03 पृष्ठीय बिन्दुवार सूचना/जानकारी विवरण अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 10.05.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।।




(शिवप्रसाद निगम)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)